

उत्तर प्रदेश जल निगम लखनऊ

पत्रांक: 1385 / अ-२-२ / 2161-0095 / 16, दिनांक 28.10.2016 द्वारा विज्ञापित

जूनियर इंजीनियर (सिविल) तथा जूनियर इंजीनियर (विद्युत/यांत्रिक) के पद पर नियुक्ति हेतु विस्तृत सूचना

ऑनलाइन आवेदन रजिस्ट्रेशन प्रारम्भ होने की तिथि	31.10.2016
ऑनलाइन आवेदन रजिस्ट्रेशन समाप्त होने की तिथि	20.11.2016
चालान द्वारा आवेदन शुल्क बैंक में भुगतान करने की अंतिम तिथि	21.11.2016

उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा जूनियर इंजीनियर (सिविल) के वेतनमान रूपये 9300-34800 तथा ग्रेड पे-रूपये 4200 जूनियर इंजीनियर (सिविल) के कुल 727 पदों एवं जूनियर इंजीनियर (विद्युत/यांत्रिक) के वेतनमान – रूपये 9300-34800 तथा ग्रेड पे-रूपये 4200 के कुल 126 पदों की नियुक्ति के सापेक्ष चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है। इन पदों का श्रेणीवार विवरण निम्नानुसार है।

क्रमांक	पद का नाम	कुल पद	सामान्य वर्ग हेतु	अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु	अनु०जाति हेतु	अनु० जनजाति हेतु
1	जूनियर इंजीनियर (सिविल)	727	363	196	153	15
2	जूनियर इंजीनियर (विद्युत/यांत्रिक)	126	63	34	26	03

क्षैतिज आरक्षण उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विज्ञापित पदों हेतु जारी अद्यतन आदेशों के अनुरूप अनुमन्य होगा।

- जो अभ्यर्थी उक्त दोनों पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें पदवार अलग-अलग आवेदन करना होगा।

2— ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना—

“ऑनलाइन आवेदन” करने के संबंध में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित निर्देशों को भली-भांति समझ लें और तदनुसार आवेदन करें।

कैसे आवेदन करें—

- अभ्यर्थी केवल वेब साइट पर उपलब्ध लिंक <http://upjn.org/>, पर ऑनलाइन आवेदन करेंगे। अभ्यर्थी आवेदन फार्म भरने से पूर्व नीचे दिये गये निर्देशों एवं सामान्य निर्देशों को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन आवेदन फार्म भरेंगे। आवेदन पत्र भरने के संबंध में अन्य सामान्य सूचनाएं/निर्देश विज्ञप्ति में दी गयी है।

किसी प्रकार की असुविधा, भीड़ या आकस्मिक कठिनाईयों से बचने के लिये अभ्यर्थियों को यह सुझाव दिया जाता है कि वे अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किये बिना अपना ऑनलाइन आवेदन फार्म जमा करें।

अभ्यर्थी अपने भरे गये आवेदन फार्म के पृष्ठ की प्रति प्रिन्ट करके अपने भविष्य के सन्दर्भ हेतु सुरक्षित रख ले। उन्हें आवेदन फार्म के प्रिन्ट, शैक्षिक योग्यता, जाति एवं अन्य अभिलेखों के पुष्टिकरण हेतु अभिलेखों की अभिप्राणित प्रतियाँ आदि अभिलेख सत्यापन के समय या जब उनसे मँगा जाये प्रस्तुत करना होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा किये जाने के बाद अपने अभ्यर्थन वापसी का कोई अनुरोध किसी भी हालात में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

3(क):— आवेदन फार्म भरने के निर्देश।

अभ्यर्थी केवल उत्तर प्रदेश जल निगम की वेब साइट <http://upjn.org/>, पर ही आवेदन करें, अन्य किसी माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

आवेदन पत्र भरने से पहले अभ्यर्थी को अपनी सुविधा हेतु अपने समस्त अभिलेख सी०डी०/डी०वी०डी०/पैन ड्राइव में, जहां प्रत्येक अभिलेख अधिकतम 80 के०बी० के साइज का हो, जे०पी०जी० फारमेंट पर अवश्य रख लें।

अनिवार्य:-

(1) नवीनतम रंगीन फोटो (2) अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

उपरोक्त अभिलेखों के साप्ट प्रति की आवश्यकता ऑनलाइन आवेदन पत्र को अपलोडिंग करने एवं अंतिम रूप से जमा करने के लिए पड़ेगी। एक वैध ई-मेल आई डी एवं मोबाइल नम्बर की अनिवार्य आवश्यकता ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने हेतु होगी।

अभ्यर्थी अपना दिया गया ई-मेल आई० डी० एवं मोबाइल नं० तब तक कियाशील रखें, जब तक परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं हो जाता।

उ०प्र० जल निगम अभ्यर्थियों को आवेदन एवं परीक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण सूचनाएं पंजीकृत ई-मेल आई डी एवं मोबाइल नं० पर ही उपलब्ध कराएगा।

कृपया ध्यान रखें कि अभ्यर्थियों द्वारा भरे गये ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित प्रविष्टियां, जिसमें आवेदक का नाम, आवेदित पद, जातिवर्ग, जन्मतिथि, पता, ई-मेल आई० डी० एवं मोबाइल नं० इत्यादि भी सम्मिलित हैं, को अन्तिम माना जायेगा।

प्रत्येक स्तर पर ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने के बाद आवेदक ऑनलाइन आवेदन पत्र के किसी फ़िल्ड में किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन नहीं कर सकते।

निर्धारित शुल्क, आवश्यक अभिलेख एवं सूचनाएं, जो कि भर्ती प्रक्रिया में दी गई है, भरे बिना आवेदन पत्र को अस्वीकार किया जा सकता है।

परीक्षा हेतु चयनित शहर/केन्द्र समाप्त करना अथवा कुछ अन्य शहर/केन्द्र इत्यादि को जोड़ने का अधिकार, आवेदकों की संख्या, प्रशासनिक आवश्यकता या अन्य कारणों को ध्यान में रखते हुए, उ०प्र० जल निगम को होगा।

वार्षिक स्थितियों में आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र अत्यन्त सावधानी से भरे, क्योंकि बाद में इसमें किसी प्रकार के परिवर्तन/बदलाव करने के लिये पत्राचार स्वीकार नहीं किया जायेगा।

3(ख)- ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु महत्वपूर्ण क्रम :-

निर्देश एवं महत्वपूर्ण लिंक आपको आवेदन पत्र भरने में आपकी सहायता करेंगे। कृपया उन्हें सावधानीपूर्वक पढ़े एवं कड़ाई से पालन करें।

1. अभ्यर्थी को वेबसाइट <http://upjn.org/>. पर ही आवेदन करना होगा। अन्य किसी तरीके/ माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
2. अभ्यर्थी के पास एक वैध व्यक्तिगत ई-मेल आई० डी० होना चाहिए। इसे चयन प्रक्रिया तक कियाशील रखा जाना चाहिए। यदि किसी आवेदक के पास अपना व्यक्तिगत ईमेल-आई०डी० नहीं है, तो आवेदन के पूर्व अपना ईमेल-आई०डी० तैयार कर लें। किसी भी हालत में वे दुसरे का ईमेल आई०डी० उपयोग न करें, न ही आवेदन पत्र में भरें।
3. अभ्यर्थी सबसे पहले उ०प्र० जल निगम की वेबसाइट <http://upjn.org/>. पर जाकर “RECRUITMENT” लिंक करें।
4. वे नया रजिस्ट्रेशन (New Registration) पर जाकर आवेदन फार्म आदि भरने की कार्यवाही करेंगे।
5. अभ्यर्थी को रजिस्ट्रेशन फार्म में अपना मूलभूत विस्तृत विवरण एवं पद, जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है, भरना होगा। लागि आई०डी० (आवेदन का क्रमांक) तथा पासवर्ड (जन्मतिथि DDMMYYYY फार्मेट) पंजीकृत मोबाइल नं० एवं ईमेल आई डी पर भेजा जायेगा। अभ्यर्थी इसे अंतिम परिणाम घोषित होने तक सुरक्षित रखें।

6. अभ्यर्थी उसके बाद आवेदन पत्र भरना जारी (Continue) रखते हुए अपने उम्र, व्यक्तिगत विवरण, शैक्षिक योग्यता का विस्तृत विवरण भरकर लागआउट या पुनः लॉगइन आवेदन पत्र भरने हेतु करें।
7. अभ्यर्थी को (अ) अपना वर्तमान फोटोग्राफ तथा (ब) हस्ताक्षर अपलोड करना होगा। इन अभिलेखों की साइज अधिकतम 80 केबी, केवल जे०पी०जी० (JPEG) फाइल में होनी चाहिए।
8. कम्प्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) दोनों पदों के लिए अलग-अलग लिया जायेगा। सभी अभ्यर्थियों जिनमे द्वारा आवेदन पत्र पूर्ण करके भरा गया है, को प्राविजनल रूप में सी.बी.टी. टेस्ट मे, उनके द्वारा भरें गये विवरण के आधार पर (जिसका तात्पर्य यह नहीं है कि वे अर्हता पूरी करते हैं) बैठने की अनुमति दी जायेगी। आवेदक द्वारा भरे गये समस्त विवरणों से बाद में जांच की जायेगी। किसी भी समय यदि यह प्रकाश में आता है कि ऑनलाइन आवेदन में भरी गयी सूचनाये फर्जी/गलत/तोड़ मरोड़ कर जमा किया गया है अथवा पद से अर्हता को पूरा नहीं करता है उसकी उमीदवारी निरस्त की जा सकती है, भले ही उनके द्वारा परीक्षा दे दी गयी हो। इस सबधं में उ०प्र० जल निगम द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।
9. आवेदन फीस/ प्रोसेसिंग फीस जमा करने हेतु महत्वपूर्ण बिन्दु:-
 - I. ऑनलाइन आवेदन फीस/प्रोसेसिंग फीस का भुगतान किसी बैंक के ए.टी.एम. कम डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/नेट बैंकिंग के माध्यम से स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (SBI) के भुगतान गेटवे (Payment Gateway) द्वारा किया जा सकेगा।
 - II. ऑफ लाइन भुगतान : आवेदन पत्र/फीस भुगतान जमा करने हेतु पूर्व में प्रिन्टेड चालान उ०प्र० जल निगम की वेबसाइट <http://upjn.org/> में स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (एस बी आई) पेमेन्ट गेटवे (Payment Gateway) से प्राप्त करें एवं नगद भुगतान बैंकिंग समय से किसी स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की शाखा में करें।
 - III. आवेदन/प्रोसेसिंग फी के अतिरिक्त बैंक चार्ज का वहन अभ्यर्थी द्वारा स्वयं किया जायेगा।
 - IV. आवेदन/प्रोसेसिंग फी का एक बार भुगतान हो जाने पर यह न तो वापस/स्थानान्तरित किया जायेगा न ही भविष्य में होने वाली किन्हीं नियुक्तियों के लिए आरक्षित किया जायेगा।
 - V. आवेदन फीस के रूप में डिमान्ड ड्राफ्ट/चेक/मनीआर्डर/पोस्टल आर्डर/बैंकर चेक/पोस्टल स्टाम्प आदि स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

4. आवेदन शुल्क – ऑनलाइन आवेदन के अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन का प्रारूप भरने के बाद ऊपर वार्णित विधि से परीक्षा शुल्क का भुगतान करेंगे। स्टेट बैंक ई-कलेक्ट के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से जमा शुल्क स्वीकार नहीं होगा। आवेदन हेतु श्रेणीवार निर्धारित शुल्क निम्नानुसार है:-

क०सं ०	श्रेणी	आवेदन शुल्क	बैंक चार्ज
(1)	अनारक्षित (सामान्य)	600.00	अतिरिक्त
(2)	अन्य पिछड़ा वर्ग	600.00	अतिरिक्त
(3)	अनुसूचित जाति	300.00	अतिरिक्त
(4)	अनुसूचित जनजाति	300.00	अतिरिक्त
(5)	विकलांगजन	—	अतिरिक्त

नोट- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिकों, एवं महिला अभ्यर्थियों को कमांक-1 से 5 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क देय होगा।

1. सबमिट किये गए आवेदन में यदि अभ्यर्थी कोई संशोधन करना चाहते हैं तो निर्धारित अंतिम तिथि तक वे दूसरा आवेदन (सेकंड रजिस्ट्रेशन) संशोधित सूचना के साथ, पुनः आवेदन शुल्क जमा करके ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। पहले आवेदन में जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जाएगा और उसका समायोजन अन्य आवेदन में भी नहीं होगा।

5- अनिवार्य अर्हता(शैक्षिक):-

- (1) जूनियर इंजीनियर (सिविल) के पद पर केवल ऐसे व्यक्तियों की भर्ती की जायेगी जिनके पास निम्नलिखित न्यूनतम अर्हता में से कोई एक हो:-

- (के) शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा।
- (खे) राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा जारी किया गया पब्लिक हेत्थ इंजीनियरिंग में 03 साल के कोर्स का डिप्लोमा।
- (ग) अन्य अर्हतायें जिन्हें राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा मद संख्या (क) एवं (खे) में उल्लिखित डिप्लोमा के बराबर माना जायें।
- (द्वि) जूनियर इंजीनियर विद्युत / यॉन्ट्रिक) के पद पर केवल ऐसे व्यक्तियों की भर्ती की जायेगी जिनके पास निम्नलिखित न्यूनतम अर्हता में से कोई एक हो:-
- (के) शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय का विद्युत / यॉन्ट्रिक में डिप्लोमा।
- (खे) अन्य अर्हतायें जिन्हें राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा मद संख्या (क) में उल्लिखित डिप्लोमा के बराबर माना जायें।

नोट: (1) दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से किसी संस्थान अथवा विश्व विद्यालय से प्राप्त उपाधि मान्य नहीं होगी।

(2) आवेदन की तिथि को न्यूनतम अर्हता प्राप्त होना आवश्यक है।

6—आयु सीमा:— आयु गणना की निश्चायक तिथि 01 अगस्त 2016 है और उक्त तिथि को अभ्यर्थी की आयु 18 से 40 वर्ष होनी चाहिये अर्थात् उसका जन्म 02 अगस्त 1976 से पूर्व तथा 01 अगस्त 1998 के बाद न हुआ हो।

(1)— अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष अधिक होगी।

(2)— भूतपूर्व सेनिकों जिन्होंने कम से कम 5 वर्ष की सेवा की हो को (सेवाकाल + 3 वर्ष) अधिकतम 15 वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी। आवेदन की अंतिम तिथि तक सेना से मुक्त होना अनिवार्य है।

(3)— समाज के विकलांगजनों को उत्तर प्रदेश सरकार के अद्यतन, नवीनतम विद्यमान शासनादेश दिनांक 03 फरवरी, 2008 के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी।

(4)— उत्तर प्रदेश जल निगम में अप्रेन्टिश एक्ट 1961 के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा में वास्तविक अवधि, अधिकतम एक वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी।

7—आरक्षण— उ०प्र० की अनुसूचित जातियों/उ०प्र० की अनुसूचित जनजातियों, उ०प्र० के अन्य पिछड़े वर्गों, क्षैतिज आरक्षण के सम्बन्ध में विवरणज्ञर अंकित किया जा चुका है।

नोट— आरक्षण/आयु में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन के विभिन्न परिशिष्ट में उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र/आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र, जो आवेदन की तिथि तक अवश्य प्राप्त कर लिया गया हो, अपने पास सुरक्षित रखें एवं उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा मांगे जाने पर उसे प्रस्तुत करें।

8—चयन का आधार— कम्प्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) परीक्षा तथा साक्षात्कार है। प्रश्नगत पदों पर चयन “उत्तर प्रदेश जल निगम अधीनस्थ अभियन्त्रण सेवा नियमावली-1978” एवं इसमें किये गये नवीनतम संशोधन के प्राविधानों के अंतर्गत होंगे। कम्प्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) परीक्षा हेतु परीक्षा की तिथि के संबंध में यथा समय आवेदक के मोबाइल एवं ई-मेल पते पर सूचित किया जाएगा।

चयन के लिए कुल एक सौ अंक होंगे

परीक्षा दो चरणों में निम्नानुसार होगी।

(1)—**प्रथम चरण—** कम्प्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) वस्तुनिष्ठ प्रकार की अस्सी अंकों की होंगी।

(के) परीक्षा के विषय, अधिकतम अंक और दिया गया समय नीचे दिये अनुसार होगा।

क्रमांक	विषय	प्रश्नों की संख्या	अंक	समयावधि
1	डिप्लोमा सिविल / विद्युत / यॉन्ट्रिक) जैसे आवेदन किया गया हो, के स्तर के विषय	80	80	दो घंटे की अवधि का प्रश्न पत्र

कम्प्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) अंकों के आधार पर मैरिट सूची तैयार की जायेगी जिससे साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों को यथा आवश्यकता बुलाया जायेगा।

(3) **द्वितीय चरण साक्षात्कार—** 20 अंकों का होगा:-

09—चयन— उपरोक्त वार्षिक 100 अंकों के आधार पर मैरिट सूची शासनादेश में प्राविधानों के अनुसार बनाई जायेगी एवं तदानुसार चयन किया जायेगा।

10—अभ्यर्थियों के लिये सामान्य अनुदेश—

(1) उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें।

- (2) अभ्यर्थी जिस आरक्षित श्रेणी के लिए आवेदन करेगा उसका उसी श्रेणी का आरक्षण लाभ दिया जायेगा।
- (3) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/भूतपूर्व सैनिक, विकलांगजन, तथा महिला अभ्यर्थियों, जो ३०प्र० राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के माने जायेंगे। महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।
- (4) भूतपूर्व सैनिक, विकलांगजन उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अद्यावधिक निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र पर अपना दावा प्रस्तुत करें अन्यथा अभ्यर्थी द्वारा किया गया दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- (5) ऐसी महिला अभ्यर्थी का जाति प्रमाण-पत्र, जिसमें उसके उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति की पत्नी होने का उल्लेख है, मान्य नहीं होगा।
- (6) ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित होने का दावा करते हैं उन्हें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके द्वारा प्रस्तुत प्रमाण-पत्र उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम, १९९३ यथासंशोधित के अनुक्रम में जारी शासनादेश दिनांक २१ अप्रैल, २०१५ के साथ संलग्न प्रारूप पर तथा यह कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तर प्रदेश के अधिवासी है या फिर वह तथा अभ्यर्थी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का (१) पुत्र और पुत्री (विवाहित या अविवाहित) अथवा (२) पौत्र अर्थात् (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) या पौत्री अर्थात् (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) विवाहित या अविवाहित हैं।
- (7) ऐसे अभ्यर्थी जो शारीरक रूप से विकलांग होने का दावा करते हैं, उन्हे यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत प्रमाण-पत्र, कार्मिक विभाग उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-१८/१/२००८-का-२-२००८, दिनांक ०३ फरवरी २००८ में निर्धारित प्रारूप पर तथा यह की उक्त प्रमाण-पत्र में अभ्यर्थी की विकलांगता का प्रतिशत स्पष्ट रूप से उल्लिखित है।
- (8) जो अभ्यर्थी केन्द्र या राज्य सरकार की सेवा में सेवारत हैं, वे अपने सेवायोजक से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें जिसे मांगे जाने पर उत्तर प्रदेश जल निगम में को प्रस्तुत करना होगा। प्रारम्भ में अनापत्ति प्रमाण-पत्र आवश्यक नहीं है, परन्तु इस आधार पर विलंब से प्राप्त आवेदन पत्रों को कालवाधित माना जाएगा।
- (9) राज्याधीन/जल निगम सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों को ३०प्र० शासन के कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या २-ई.एम./२००१-का-४-२०१३, दिनांक २७ अगस्त, २०१३ के अनुसार अधिकतम आयुसीमा में पाँच वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।
- (10) ऐसे पुरुष अभ्यर्थी जो विवाहित हैं तथा जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हैं अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया है जिसके पहले से ही एक जीवित पत्नी है, पात्र नहीं समझे जाएंगे बशर्ते कि राज्यपाल महोदय द्वारा उक्त प्रतिबंध से मुक्ति प्रदान न कर दी गई हो।
- (11) अभ्यर्थी के अर्ध/अनर्ध होने के संबंध में उत्तर प्रदेश जल निगम का निर्णय अन्तिम होगा।
- (12) आवेदन स्वीकार किए जाने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थियों को अल्लिखित पदों के सापेक्ष बिन्दु-५ में विहित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए।

अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश -

- 1- किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को, जिनकी प्रमाण-पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती, देने पर ३०प्र० जल निगम की प्रश्नगत परीक्षा तथा अन्य समस्त परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिबन्धित किया जा सकता है।
- 2- ऑनलाइन आवेदन “सबमिट” हो जाने के पश्चात अभ्यर्थी की श्रेणी, उपश्रेणी, जन्मतिथि, जेंडर (लिंग) आदि में परिवर्तन अनुमन्य नहीं है। अतः रजिस्ट्रेशन करते समय व आवेदन सबमिट करते समय सभी सुचनाएँ सही-सही भरें। गलत जेंडर (लिंग) भरने पर अध्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। अतः गलत जेंडर (लिंग) न भरें। ऑनलाइन प्रक्रिया में आवेदक द्वारा भरी गयी सूचनाएँ अन्तिम हैं, इसमें उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा संशोधन किया जाना सम्भव नहीं है।
- 3- हाईस्कूल अथवा समक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण-पत्र में अंकित नाम एवं जन्मतिथि ही मान्य होगी। नाम एवं जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण-पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा।
- 4- आयु एवं शैक्षिक योग्यता की पुष्टि में अंक पत्र, प्रमाण-पत्र, उपाधि की स्वप्रमाणित प्रति साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना होगा।

- 5— परीक्षा निम्नलिखित नगरों में आयोजित होगी ।
 आगरा, इलाहाबाद, बरेली, गोरखपुर, ग्रोटर नोएडा, झॉसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुशादाबाद, वाराणसी, गाजियाबाद ।
- परीक्षा की तिथि, समय तथा केन्द्रों आदि के सम्बन्ध में अनुक्रमक सहित प्रवेश पत्र के माध्यम से सूचना दी जायेंगी। अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा केन्द्र पर ही परीक्षा देनी होगी। परीक्षा केन्द्र में किसी भी दशा में परिवर्तन अनुमत्य नहीं होगा।
- 6— जो अभ्यर्थी कालांतर में अर्ह नहीं पाये जायेंगे उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा और इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश जल निगम का निर्णय अन्तिम होगा।
- 7— आवेदन पत्र में जन्मतिथि का उल्लेख न करने, अधिवयस्क या अल्पवयस्क होने पर, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित न करने पर आवेदन “सबमिट” नहीं होगा।
- 8— निर्धारित साइज़ की फोटो अपलोड न करने तथा निर्धारित स्थान पर स्पष्ट हस्ताक्षर न अपलोट करने पर अभ्यर्थियों का आवेदन तथा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।
- 9— अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में अपलोड किये गये फोटोग्राफ की 06 प्रतियाँ, भविष्य में उपयोग हेतु सुरक्षित रख लें।
- 10— उत्तर प्रदेश जल निगम अभ्यर्थियों को उनके द्वारा दी गयी सूचनाओं के आधार पर लिखित परीक्षा में औपचार्यिक प्रवेश देगा, किन्तु बाद में किसी भी स्तर पर यह पाये जाने पर कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन प्रारंभिक स्तर पर स्वीकार किये जाने योग्य नहीं था, उक्त स्थिति में अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा और यदि नियुक्ति भी कर दिया हो तो नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी। आवेदक आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी अपने पास सुरक्षित रखे। ७० प्र० जल निगम में आवेदन की हार्ड कापी भेजे जाने की आवश्यकता नहीं है। साक्षात्कार के समय हार्ड कापी की एक प्रति अभ्यर्थियों को प्रस्तुत करना होगा।
- 11— कदाचय अर्थात परीक्षा भवन में नकल करने, अनुशासनहीनता, दुर्व्ववहार तथा अवांछनीय कार्य करने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इन अनुदेशों की अवेहलना करने पर अभ्यर्थी को इस परीक्षा तथा भविष्य में होने वाली परीक्षाओं से प्रतिबन्धित किया जा सकता है।
- 12— नियुक्त हेतु चयनित अभ्यर्थियों को मुख्य चिकित्सा अधिकारी से स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा तथा परीक्षण रिपोर्ट कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 13— ऐसे अभ्यर्थी जो आवेदन “सबमिट” करने की अन्तिम तिथि तक वाँछित अनिवार्य अर्हता नहीं रखते हैं, वह इस परीक्षा में आवेदन न करे क्योंकि वह पात्र नहीं हैं। उनका अभ्यर्थन स्वीकार नहीं होगा।
- 14— उत्तर प्रदेश जल निगम अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देते हैं। इसलिये उन्हें विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए और वह तभी आवेदन करे जब वे संतुष्ट हो जाये कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप वे अर्ह हैं।
- 15— किसी अनाचार/कदाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छुपाने, अभियोजन/अपराधिक वाद लम्हित होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी के होने, तथ्यों के गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन/चयन के सम्बन्ध में सिफारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाये जाने पर अभ्यर्थन/नियुक्ति निरस्त करने का अधिकार उत्तर प्रदेश जल निगम का होगा।
- 16— आवेदन स्वीकार “सबमिट” किये जाने/ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि 20.11.2016 है। परीक्षा शुल्क बैक में जमा करने की अन्तिम तिथि 21.11.2016 है।
- 17— किसी विवाद की स्थिति में न्यायपालिका क्षेत्र लखनऊ ही मान्य होगा।
- 18— आवेदक महत्वपूर्ण सूचनाओं एवं निर्देशों की जानकारी हेतु हमेशा ००प्र० जल निगम की वेबसाइट <http://upjn.org/> के संपर्क में रहें। योग्य अभ्यर्थी, जिनके आवेदन पत्र मास्टर लिस्ट में उपलब्ध हों तथा जिन्हें ऑनलाइन परीक्षा हेतु प्रवेशपत्र समय से न प्राप्त हो, वे इसे उत्तर प्रदेश जल निगम की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं।
- 19— जल निगम की वेबसाइट पर मॉक टेस्ट नवम्बर, 2016 के दूसरे सप्ताह से प्रयोग की जा सकती है।
- 20— माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ की लीडिंग याचिका संख्या ३१८४/एस.एस./२०१२ में पारित निर्णय दिनांक १२.११.२०१३ के अनुपालन में दिये गये निर्देशानुसार अन्य अर्हताओं को पूरा करने की स्थिति में उन्हें संविदा सेवा अवधि के अनुभव की वरीयता साक्षात्कार में प्रदान की जायेगी।

उत्तर प्रदेश जल निगम,
 लखनऊ

उत्तर प्राप्त के विकलांगों के लिये प्रमाण-पत्र
CERTIFICATE FOR PHYSICALLY HANDICAP OF U.P.

NAME & ADDRESS OF THE INSTITUTE/HOSPITAL

Certificate No.....

DISABILITY CERTIFICATE

This is certified that Shri/smt./kum. Son/Wife/ Daughter of
 Shri..... age..... Sex..... identification mark

(S)..... is suffering from permanent disability of following category.

A. Loco motor of cerebral palsy:

- (i) BL-Both legs affected but not arms.
- (ii) BA-Both arms affected
 - (a) Impaired reach
 - (b) Weakness of grip
- (iii) BLA-Both legs and both arms affected
- (iv) OL-One leg affected (right or left)
 - (a) Impaired reach
 - (b) Weakness of grip
 - (c) Ataxic
- (v) OA-One arm affected
 - (a) Impaired reach
 - (b) Weakness of grip
 - (c) Ataxic
- (vi) BH-Stiff back and hips (cannot sit or stoop)
- (vii) MW-Muscular weakness and limited physical endurance.

B. Blindness or Low Vision:

- (i) B-Blind
- (ii) PB-Partially Blind

C. Hearing Impairment

- (i) D-Deaf
- (ii) PD-Partially Deaf

(Delete the category whichever is not applicable)

2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve. Re-assessn of this case is not recommended/is recommended after a period ofyear.....months.

3. Percentage of disability in his/her case is percent.

4. Sh./Smt./Kum..... meets the following physical requirements discharge of his/her duties:

- | | |
|--|--------|
| (i) F-can perform work by manipulating with fingers. | Yes/No |
| (ii) PP-can perform work by pulling and pushing. | Yes/No |
| (iii) L-can perform work by lifting. | Yes/No |
| (iv) KC-can perform work by kneeling and couching. | Yes/No |
| (v) B-can perform work by bending. | Yes/No |
| (vi) S-can perform work by sitting. | Yes/No |
| (vii) ST-can perform work by standing. | Yes/No |
| (viii) W-can perform work by walking. | Yes/No |
| (ix) SE-can perform work by seeing. | Yes/No |
| (x) H-can perform work by hearing/speaking. | Yes/No |
| (xi) RW-can perform work by reading and writing. | Yes/No |

(Dr.)

(Dr.)

(Dr.)

Member

Member

Chairperson

Medical Board

Medical Board

Countersigned by

the

Medical

Superintendent

 CMO/HQ
 Hospital (with seal)

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
 सुपुत्र/सुपुत्री श्रीनिवासी ग्राम.....तहसील.....
नगर.....जिला.....उत्तर प्रदेश राज्य की
पिछड़ी जाति के व्यक्ति है यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....पूर्वोत्तर अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-दो (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं हैं। इनके माता-पिता की निरंतर तीन वर्ष की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय 8 लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं हैं।

श्री/श्रीमती/कुमारी.....तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम.....तहसील.....नगर.....जिला.....में सामान्यता रहता है।

स्थान.....	हस्ताक्षर.....
दिनांक.....	पूरा नाम.....
मुहर.....	पद का नाम.....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

उ०प्र०की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित, जन जाति के लिए जाति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....सुपुत्र/सुपुत्री श्री.....
निवासी ग्राम.....तहसील.....नगर.....जिला.....उत्तर
 प्रदेश राज्य कीजाति के घटित है जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950
 (जैसा कि समय-समय) पर संशोधित हुआ/संविधान (अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित
 जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारी.....तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के
 ग्राम.....तहसील.....नगर.....जिला.....में सामान्यता रहता
 है।

स्थान.....	हस्ताक्षर.....
दिनाँक.....	पूरा नाम.....
मुहर.....	पद का नाम.....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिठी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/
 अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट यदि कोई हो/जिला समाज कल्याण अधिकारी

उ0प्र0 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी..... निवासी
 ग्राम..... तहसील..... नगर..... जिला..... उत्तर प्रदेश लोक
 सेवा(शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993 के
 अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और श्री/ श्रीमती/ कुमारी (आश्रित)..... पुत्र/ 
 पुत्री/पोत्री/पोत्री विवाहित/अविवाहित उपरांकित अधिनियम 1993 के ही प्राविधानों के अनुसार उक्त श्री/ श्रीमती(स्वतंत्रता
 संग्राम सेनानी)..... के आश्रित है।

हस्ताक्षर.....	पूरा नाम.....
स्थान.....	मुहर
दिनांक.....	जिलाधिकारी.....
	सील.....